


बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5 / अ0प्र0-01-04 / 2026 81 / पटना, दिनांक- 30.1.26

श्रीमती दीर्घा सिंह, सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, थावे, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में अपने प्रथम संतान हेतु दिनांक 12.01.2026 से 10.07.2026 तक कुल 180 दिनों के अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती दीर्घा सिंह, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
30/1/26

(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5 / अ0प्र0-01-04 / 2026 1279 / पटना, दिनांक- 30.1.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
30/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5 / अ0प्र0-01-04 / 2026 1279

/ पटना, दिनांक-30.1.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1/ श्रीमती दीर्घा सिंह, सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, थावे, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
30/1/26

सरकार के अपर सचिव

